न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 61/2018

निर्णय दिनांक :–15.10.2020

उनवानी वाद :

1. केसरलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
2. रामलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
3. पोलू पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
4. हंसराज पुत्र कैलाश जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
5. दीपक पुत्र कैलाश जाति गुर्जरा निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)

– वादीगण –

बनाम

1. सोहनपाल पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
2. रमेश पुत्र सोहनपाल जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण–

–उपस्थिति –

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रांर्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 791 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 792 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 807 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 808 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 809 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 828 रकबा 0.50 है0, वाके ग्राम कंवरपुरा (निवारिया) तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। कैलाश पुत्र नन्दा का देहान्त हो गया है, अभी तक फौती नामान्तकरण वादी संख्या 4 व 5 के नाम नहीं खुला है। वादी संख्या 4 व 5 के अलावा मृतक कैलाश के अन्य कोई वारिस पत्नी या लड़की नहीं है। वादीगण का उपरोक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व मजामहत करते है। इसलिए प्रतिवादीगणको जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे स्वय जरिये एजेन्ट, नौकर चाकर के वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करे। वादीगण बहुत ही शरारती एव झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। अतः वादीगण को मूलवाद तक पाबन्द किया जावे ।

प्रतिवादीगणकी तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगणके अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2070–73 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली में वादीगण संख्या 4 ता 5 का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं था। वादी ने बहस के दौरान अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2074–77 जमाबन्दी सम्वत 2076 पेश की है जिसमें वादीगण सख्या 4 ता 5 कैलाश के वारिसान खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के करण अप्राथीगण संख्या 1 ता 2 को पाबन्द करवाने के हकदार है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 791 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 792 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 807 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 808 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 809 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 828 रकबा 0.50 है0, वाके ग्राम कंवरपुरा (निवारिया) तहसील देवली में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे। पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल खटीक आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक...................................मुकाम देवली

उनवानी वाद :

1. केसरलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
2. रामलाल पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
3. पोलू पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
4. हंसराज पुत्र कैलाश जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
5. दीपक पुत्र कैलाश जाति गुर्जरा निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)

– वादीगण –

बनाम

1. सोहनपाल पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)
2. रमेश पुत्र सोहनपाल जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला–टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण–

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 61 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 791 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 792 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 807 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 808 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 809 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 828 रकबा 0.50 है0, वाके ग्राम कंवरपुरा (निवारिया) तहसील देवली में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निजी...मुवलिक.......................................बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 10 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए